राजस्थान सरकार
कार्यालय अनुज्ञापन अधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक,
मिनी स्वास्थ्य भवन, मन्दिर मार्ग, सेठी कालोनी जयपुर (राज0)

दिनांकः 24/03/2021

क्रमांकः- स0औ0नि0/2021/19

श्रीमान् औषधि नियंत्रक महोदय
राजस्थान जयपुर।

सम्पर्क पोर्टल परिवाद संख्या
01210539245956

विषय :– समाचार पत्र में "**छपी खबर डॉक्टर ने दवा लिखी उनके घर के पास से नहीं ली तो ढूंढते रहों**" के क्रम में रिर्पोट सम्पर्क पोर्टल पर अपलोड करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि "जवाब दो!!! सरकार पोर्टल" जयपुर द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार को प्रेषित पत्र जिसे राजस्थान संपर्क पोर्टल पर भी दायर किया गया है जिसका परिवाद कमांक 01210539245956 है। परिवादी श्री ज्ञानेश कुमार द्वारा दर्ज शिकायत राजस्थान पत्रिका में दिनांक 22.12.2020 को प्रकाशित खबर शीर्षक "डॉक्टर ने दवा लिखी उनके घर के पास से नहीं ली तो ढूंढत रहों" के सम्बन्ध में समाचार में प्रकाशित जिला दौसा के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर की निजी दवा विक्रेताओं से मिलीभगत व रिस्तेदारों के नाम से अपने घर या आस–पास में मेडिकल की दुकाने खोलकर हजारों–लाखों रूपये की दवाऐं विक्रय करने तथा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा प्रंसज्ञान लिये जाने के सम्बन्ध में है।

श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त, जयपुर महोदय के दिनांक 16.12.2020 को दौसा जिले के राजकीय भ्रमण दौरान प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा दिनांक 17.12.2020 से दिनांक 21.12.2020 तक विशेष अभियान चला कर निम्नलिखित संस्थाओं के निरीक्षण कर संस्थाओं के विरूद्ध कार्यवाही सम्पादित की गयी है। जिनका विवरण निम्न प्रकार है :–

कम संख्या	फर्म का नाम	फर्म का पता	कार्यवाही विवरण
01	मैसर्स मानव मेडिकल्स निरीक्षण दिनांक 19.12.20	कैलाश मोर्टस के सामने, लालसोट रोड, दौसा, जिला दौसा	फर्म के निरीक्षण करने पर अनियमितता पाये जाने पर औषधि प्रसाधन एवं अधिनियम एक्ट कें तहत फर्म को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया एवं पक्ष रखने एवं लिखित जवाब देने का मौका दिया गया। जवाब का गुणा व गुण के आधार पर फर्म के विरूद्ध नियमानुसार औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम के तहत फर्म के अनुज्ञापत्र दिनांक 01.03.2021 से दिनांक 30.03.2021 तक 30 दिवस

Scanned by CamScanner

			की अवधि के लिए निलंबित किये गये। जिसके पश्चात फर्म मालिक द्वारा सक्षम अधिकारी को अपील की गई। अपीलीय अधिकारी एवं शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेंवाए, जयपुर द्वारा उपरोक्त निलंबित आदेशों में संशोधन करते हुए फर्म के लाईसेंस दिनांक 01.03.2021 से दिनांक 30.03.2021 तक के स्थान पर दिनांक 25.03.2021 से दिनांक 31.03.2021 तक (कुल 07 दिवस) निलम्बन किये जाने के आदेश प्रदान किये गये।
02	मैसर्स सोगुन मेडिकल स्टोर निरीक्षण दिनांक 19.12.20	लॉजपत कॉलोनी, जिला अस्पताल के सामने, लालसोट रोड, दौसा, जिला दौसा	फर्म के निरीक्षण करने पर अनियमितता पाये जाने पर ड्रग एक्ट कें अनुसार फर्म का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय जो अनियमितता पाये जाने पर फर्म को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया एवं पक्ष रखने एवं लिखित जवाब देने का मौका दिया गया। जवाब दिये जाने पर एवं आरोप सिद्ध होने पर फर्म के विरूद्ध नियमानुसार औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम के तहत फर्म के अनुज्ञापत्र दिनांक 01.03.2021 से दिनांक 30.03.2021 तक निलंबित किये गये। जिसके पश्चात फर्म मालिक द्वारा सक्षम अधिकारी को अपील की गई। अपीलीय अधिकारी एवं शासन उप सचिव द्वारा उपरोक्त निलंबित आदेशों में संशोधन करते हुए फर्म के लाईसेंस दिनांक 01.03.2021 से दिनांक 30.03.2021 तक के स्थान पर दिनांक 25.03.2021 से दिनांक 31.03.2021 तक (कुल 07 दिवस) निलम्बन किये जाने के आदेश प्रदान किये गये।
03	मैसर्स किरण मेडिकोज निरीक्षण दिनांक 19.12.20	जिला अस्पताल के पास,लालसोट रोड, दौसा, जिला दौसा	अनियमितता पाये जाने पर ड्रग एक्ट कें अनुसार फर्म का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय जो अनियमितता पाये जाने पर फर्म को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया एवं पक्ष रखने एवं लिखित जवाब देने का मौका दिया गया। जवाब दिये जाने पर एवं आरोप सिद्ध होने पर फर्म के विरूद्ध नियमानुसार औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम के तहत फर्म के अनुज्ञापत्र दिनांक 01.03.2021 से दिनांक 15.03.2021 तक (15 दिवस) निलंबित किये गये।
04	मैसर्स रिया मेडिकल्स निरीक्षण दिनांक 19.12.20	डॉक्टर्स कॉलोनी, लालसोट रोड, दौसा, जिला दौसा	फर्म के निरीक्षण करने पर अनियमितता पाये जाने पर ड्रग एक्ट कें अनुसार फर्म का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय जो अनियमितता पाये जाने पर फर्म को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया एवं पक्ष रखने एवं लिखित जवाब देने का मौका दिया गया। जवाब दिये जाने पर एवं आरोप सिद्ध होने पर फर्म के विरूद्ध नियमानुसार औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम के तहत फर्म के अनुज्ञापत्र दिनांक 01.03.2021 से दिनांक 30.03.2021 तक निलंबित किये गये। जिसके पश्चात फर्म मालिक द्वारा सक्षम अधिकारी को अपील की गई। अपीलीय अधिकारी एवं

Scanned by CamScanner

			शासन उप सचिव द्वारा उपरोक्त निलंबित आदेशों में संशोधन करते हुए फर्म के लाईसेंस दिनांक 01.03.2021 से दिनांक 30.03.2021 तक के स्थान पर दिनांक 25.03.2021 से दिनांक 31.03.2021 तक (कुल 07 दिवस) निलम्बन किये जाने के आदेश प्रदान किये गये।
05	मैसस श्री रूपम मेडिकोज निरीक्षण दिनांक 21.12.20	लॉजपत कॉलोनी, जिला अस्पताल के सामने, लालसोट रोड, दौसा, जिला दौसा	अनियमितता पाये जाने पर ड्रग एक्ट कें अनुसार फर्म का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय जो अनियमितता पाये जाने पर फर्म को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया एवं पक्ष रखने एवं लिखित जवाब देने का मौका दिया गया। जवाब दिये जाने पर एवं आरोप सिद्ध होने पर फर्म के विरूद्ध नियमानुसार औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम के तहत फर्म के अनुज्ञापत्र दिनांक 01.03.2021 से दिनांक 30.03.2021 तक निलंबित किये गये।
06	मैसस अनिता मेडिकल्स निरीक्षण दिनांक 19.12.20	राजकीय टी.बी. अस्पताल के सामने, लालसोट रोड, दौसा, जिला दौसा	फर्म के निरीक्षण करने पर अनियमितता पाये जाने पर ड्रग एक्ट कें अनुसार फर्म का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय जो अनियमितता पाये जाने पर फर्म को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया एवं पक्ष रखने एवं लिखित जवाब देने का मौका दिया गया। जवाब दिये जाने पर एवं आरोप सिद्ध होने पर फर्म के विरूद्ध नियमानुसार औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम के तहत फर्म के अनुज्ञापत्र दिनांक 01.03.2021 से दिनांक 30.03.2021 तक निलंबित किये गये। जिसके पश्चात फर्म मालिक द्वारा सक्षम अधिकारी को अपील की गई। अपीलीय अधिकारी एवं शासन उप सचिव द्वारा उपरोक्त निलंबित आदेशों में संशोधन करते हुए फर्म के लाईसेंस दिनांक 01.03.2021 से दिनांक 30.03.2021 तक के स्थान पर दिनांक 25.03.2021 से दिनांक 31.03.2021 तक (कुल 07 दिवस) निलम्बन किये जाने के आदेश प्रदान किये गये।

अतः विस्तृत रिर्पोट प्रस्तुत कर निवेदन है कि इस रिर्पोट को सम्पर्क पोर्टल पर अपलोड कर निस्तारण करवाने का सौहार्द करावे।

24.3.21

(दिनेश कुमार तनेजा)
औषधि अनुज्ञापन अधिकारी
एवं
सहायक औषधि नियन्त्रक,
जयपुर

Scanned by CamScanner